

न्यायालय सभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व द्वितीय अपील संख्या 105/2024

अपीलाण्टगण

बनाम

रेस्पोडेन्टगण

1. कादर खॉ पुत्र मुरीद खॉ के का0मु0-

1. मुमल पत्नी कादर खॉ
 2. निजाम खॉ पुत्र कादरखॉ
 3. मेरदीन पुत्र कादर खॉ
 4. मलारखॉ पुत्र कादर खॉ
 5. लतीफ खॉ पुत्र कादर खॉ
 6. नूरे खॉ पुत्र कादर खॉ
 7. शकूर खॉ पुत्र कादर खॉ
 8. इकबाल खॉ पुत्र कादर खॉ
 9. ऐलमा पुत्री कादर खॉ
 10. सकिना पुत्री कादर खॉ
- जाति मुसलमान निवासीगण-
चान्दणी मेधासर, तहसील
फलसूण्ड जिला जैसलमेर।

2. भागे खॉ पुत्र मुरीदखॉ के का0मु0-

1. जाखब खॉ पुत्र भागे खॉ
निवासी-पाटोदी खारडी, तहसील
पचपदरा।

3. इसे खॉ पुत्र मुरीदखॉ के का0मु0-

1. नसीर खॉ पुत्र भागे खॉ
2. समसुदीन पुत्र इसे खॉ
3. रजाक पुत्र इसे खॉ
4. सतार खॉ पुत्र इसे खॉ
5. गनीखॉ पुत्र इसे खॉ
6. भीखीदेवी पत्नी इसे खॉ
निवासी-पाटोदी खारडी, तहसील
पचपदरा।

1. हनीफा पत्नी करीमखॉ के का0मु0-

1. अल्लाबचाय खॉ पुत्र करीम खॉ
2. सायरा पुत्री करीम खॉ
3. केसर पुत्री करीम खॉ
4. राजी पुत्री करीम खॉ
5. अन्नो पुत्री करीम खॉ
निवासी- पाटोदी खारडी, तहसील
पचपदरा।

2. अल्लाबचाय पुत्र करीमखॉ निवासी-

पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा।

3. गफूरखॉ पुत्र मुरीद खॉ निवासी-
पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा।

4. लतीफ खॉ पुत्र गफूरखॉ

5. इलियास पुत्र गफूर खॉ

6. अयूब खॉ पुत्र गफूर खॉ

7. नूरे खॉ पुत्र गफूर खॉ

8. सेयती पत्नी इलियास खॉ

9. हुरमी पत्नी लतीब खॉ

10. रामत पत्नी आईब

रेस्पो0संख्या 4 ता 10 निवासीगण-
चान्दणी मेधासर, तहसील फलसूण्ड
जिला जैसलमेर।

11. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार

फलसूण्ड, जिला जैसलमेर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश दिनांक
03.08.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 217 पर पारित
किया गया।


सभागीय आयुक्त
जोधपुर

उपस्थिति:-

1. श्री पीराणे खान, श्री इकबाल, विद्वान अधिवक्तागण, अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री अब्दुल कादिर, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1/2 की ओर से।
3. श्री गोपालसिंह राजपुरोहित, विद्वान अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से।
4. श्री नवलसिंह दहिया, विद्वान राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 11 की ओर से।
5. रेस्पो0 संख्या 1/1, 1/3 से 1/5 तथा रेस्पो0 संख्या 02 बावजूद तामीली के अनुपस्थित।

:: निर्णय ::

दिनांक: 21 जनवरी, 2026

1. अपील पत्रावली के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स के द्वारा यह अपील तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 पर पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 03.08.2024 ग्राम चानणी मेघासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर को निरस्त कराने हेतु दिनांक 08.11.2024 को न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।
2. पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित है। बहस उभयपक्षकारान की सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने हेतु प्रस्तुत किये गये मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेन्टस के द्वारा विवादग्रस्त कृषि भूमि को बेचान हेतु अन्य व्यक्तियों को दिनांक 20.10.2024 को दिखाई गई तब अपीलान्ट्स के द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे जाने पर रेस्पोडेन्ट ने बताया कि उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि का मेरे नाम से नामान्तरकरण दर्ज है तथा गफूर खॉ के द्वारा हमें उक्त खसरान की भूमि दान कर दी गई है और हम इस कृषि भूमि का बेचान करने जा रहे हैं, तुम्हारा इस कृषि भूमि से कोई लेना देना नहीं है। जिसके पश्चात अपीलान्ट के द्वारा राजस्व रिकार्ड लेने हेतु अधिवक्ता से सम्पर्क किया तब जानकारी में आया कि राजस्व मण्डल, अजमेर न्यायालय में विचाराधीन अपील को अल्लाबचाय वगैरा के द्वारा दिनांक 16.07.2024 को विद्धो करवाया तथा दिनांक 22.07.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किये जाने पर तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा दिनांक 3.8.2024 को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 को स्वीकृत कर दिया है। तब अपीलान्ट को दिनांक 21.10.2024 को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। इस कारण से प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अन्दर मियाद पेश की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील


सम्भागीय आयुक्त
जाधपुर

प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जावे। रेस्पोंडेंट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने का विरोध किया तथा अपील को मियाद बाहर मानते हुए खारिज किये जाने का निवेदन किया। अपीलान्ट की ओर से पेश मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

3. अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मीमो में तथा दिनांक 03.12.2025 को लिखित बहस पेश करते हुए उनमें वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये यह कथन किया कि पूर्व ग्राम फलसूण्ड वर्तमान ग्राम चानणी मेगासर के खेत खसरा सं0 115 रकबा 228.13 बीघा व ग्राम पिरासर में खसरा नं0 141 रकबा 14.12 बीघा भूमि स्थित है। उक्त भूमि वक्त सेटलमेंट के दौरान मुरीद खॉ के नाम दर्ज हुई। मुरीद खॉ फौत हो चुका है एवं मुरीद खॉ के पुत्र गफूर खॉ, बादे खॉ, करीम खॉ(फौत) कादर खॉ(फौत), इसे खॉ (फौत) है। उक्त भूमि पर इन सभी भाईयों का कब्जा काश्त पीढीयों से चला आ रहा है एवं बराबर- बराबर रूप से यानि 1/5-1/5 हिस्से के हकदार है। प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्ट्स के रहवासीय मकान बने हुए हैं और इसी के अनुसार अपने हिस्से के अनुसार अपना नाम दर्ज करवाने के अधिकारी है।

4. अपीलान्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि गफूर खॉ स्व. मुरीदखॉ का बडा पुत्र होने से मुरीद खॉ की मृत्यु के बाद हल्का पटवारी से मिलकर सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली, जबकि वास्तव में सम्पूर्ण रकबे पर प्रतिवादी का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा, न ही आज है। अपीलान्ट के पिता कादर खॉ अपने हक हिस्से की भूमि में आज भी काबिज है। गफूर खॉ के अकेले के नाम खातेदारी दर्ज होने की जानकारी होते ही एक राजस्व वाद न्यायालय सहायक कलेक्टर, पोकरण के समक्ष पेश किया गया। उक्त राजस्व वाद सं0 118/2006 में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नं0 115 रकबा 228.13 बीघा, व ग्राम पिरासर में खसरा नं0 141 रकबा 14.12 मुरीद खॉ के नाम दर्ज रही। श्री मुरीद खॉ के पांच लडके थे लेकिन वादग्रस्त भूमि अकेले गफूर खॉ के नाम दर्ज कर दी गई जो कि सही नहीं है तथा अपीलान्ट का दावा स्वीकार किया गया तथा चानणी मेगासर के खसरा नं0 115 रकबा 228.13 व ग्राम पिरासर के खसरा नं0 141 रकबा 14.12 बीघा में अपीलान्ट/ वादीगण 1/2 हिस्से का तथा प्रतिवादीगण 1/4 हिस्से का कमशः गफूर खॉ, कादर खॉ, बादे खॉ इसे, खॉ प्रत्येक को 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।


सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

5. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि उक्त पारित वाद में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2006 के विरुद्ध रेस्पोंडेन्ट सं० 3 गफूर खॉ द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी। जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि मुरीद खॉ के चार पुत्रों द्वारा इस पर कोई आपत्ति नहीं की गई। केवल मात्र एक पुत्र गफूर खॉ द्वारा आपत्ति की गई थी परन्तु कही पर यह साबित नहीं कर सके कि विवादित भूमि उनकी स्वअर्जित भूमि है, जबकि अपीलान्ट के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 27 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि की संवत् 2018 से 2046 तक की जमाबन्दी पेश कर साबित कर दिया कि विवादित भूमि स्व० मुरीद खॉ की खातेदारी भूमि थी जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात गलत रूप से अकेले गफूर खॉ के नाम दर्ज हो गई जो काबिल दुरस्ती है। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया था। इसके बावजूद भी उक्त दस्तावेजों पर ध्यान नहीं दिया गया और जानबूझकर अपीलान्ट को नुकसान पहुंचाने व प्रतिवादी को फायदा पहुंचाने की नियत से राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय ने निर्णय पारित कर दिया। इसके अतिरिक्त देरी से प्रस्तुत की गई अपील के सम्बन्ध में निर्णय में कोई उल्लेख नहीं किया और मात्र यह कथन कर फैसला पारित कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने राजस्व वाद/दावे में किसी प्रकार की तनकी पारित नहीं की है। जबकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडीआर 2008 पार्ट 1 राज० पेज 355 में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि तनकियात बनाने या न बनाने से प्रकरण में क्या प्रभाव पड़ेगा तथा क्या इस बिन्दू पर फैसले व डिकी को निरस्त किया जा सकता है। राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा इस बिन्दू पर गलत एवं कानूनी त्रुटिपूर्ण रवैया अपनाते हुए फैसला पारित कर दिया।

6. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.7.2008 के विरुद्ध हनीफा पत्नी करीम खॉ की ओर से राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई, जिस अपील संख्या 8131/2008 में राजस्व रेकॉर्ड व मौके की यथास्थिति के आदेश पारित किये गये। इसके बावजूद बाले-बाले ही हनीफा की ओर से उक्त द्वितीय अपील में विद्दो करवाने के आदेश पारित करवा लिया गया। हम अपीलान्ट को नुकसान कारित करने के आशय से हमारी पीढियों से कब्जा काश्त की रेकॉर्डड खातेदारी भूमि में से बेदखल करने के लिए ऐसा षडयन्त्रपूर्वक कार्य किया। इस निर्णय की जानकारी होने पर हम अपीलान्टस के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में एक याचिका एस.बी. सिविल रिट पीटिशन सं. 13409/2024 पेश करते हुए कथन किया गया कि न्यायालय सहायक


4
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

कलेक्टर, पोकरण के आदेश दिनांक 29.12.2006 में मुरीद खॉ के पांच पुत्रों के हिस्से में 1/5 हिस्से के खातेदार घोषित किये थे। इसके पश्चात गफूर खॉ के द्वारा प्रस्तुत अपील में तामिल पूर्ण करवाये बिना ही तथा साक्ष्य का अवलोकन किये बिना ही राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय से दिनांक 28.7.2008 को निर्णय पारित कर निर्णय दिनांक 29.12.2006 को अपास्त करवा लिया। उक्त आदेश की आड में कब्जा काश्त, ढाणीया, टांका, पीढियों से वक्त सेटलमेंट मुरीद खॉ के हक हिस्से की भूमि में चला आ रहा है उक्त भूमि को मुरीद खॉ के देहान्त के पश्चात अकेले गफूर ने अपने नाम दर्ज करवा ली उक्त खसरान की भूमि में से हमें बेदखल करने पर आमदा है तथा उक्त भूमि को आगे गफूर व अन्य रेस्पोंडेन्ट्स का परिवार अन्य को बैचान, दान, प्रकार से हस्तान्तरण कर दिया है तथा हमारे हिस्से से हमेशा के लिए वंचित करना चाहते हैं। गफूरखॉ रेस्पोंड संख्या 3 के द्वारा दिनांक 31.7.2024 को दो अलग-2 बख्शीशनामा/दान पत्र दानगृहिता सैयती, रामत, अमीनत, लतीफ खॉ, इलियास खॉ, अयू खॉ, नूरे खॉ के पक्ष में 1/2 हिस्सा भूमि दान कर दी गई। जबकि मुरीद खॉ की भूमि में गफूरखॉ का 1/5 हिस्सा बनता था। गफूरखॉ द्वारा अपने हिस्से अधिक भूमि को अपीलान्टस् के हक-हिस्से से वंचित करने के आशय से प्रश्नगत भूमि के सम्बन्ध में अपील विचाराधीन होते हुए भी दिनांक 31.07.2024 को दान कर दी गई। उक्त दान दस्तावेज अवैध व शून्य होने से प्रारम्भ से ही शून्य होते हैं जैसा कि आरबीजे, 2023 पेज 106 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। ऐसे दस्तावेज को निरस्त कराये बिना भी राजस्व न्यायालय पैतृक भूमि का हक व हिस्सा तय कर सकता है। जैसा कि 1984 आरआरडी पेज 891, 2015(1) आरआटी पेज 474 में सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त जो अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 03.8.2024 को पारित किया गया है वह भी बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना नोटिस दिये तथा माननीय उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल राज. अजमेर में अपीलीय कार्यवाही विचाराधीन होते हुए अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया।

7. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 217 को स्वीकृत किये जाने बाबत पारित आदेश दिनांक 03.8.2024 कानून एवं रिकॉर्ड के विपरित होने से काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नामान्तरकरण को स्वीकृत करने से पूर्व अपीलान्टस् को किसी भी प्रकार का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है। इस बिनाय पर भी अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 217 काबिले खारिज है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ने नामान्तरकरण संख्या 217 को स्वीकृत करने से पूर्व मृतक मुरीद खॉ के पांच पुत्र कमशः गफूर खॉ, बादर खॉ, करीम खॉ, इसे खॉ, कादर खॉ को किसी


5
सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकार का नोटिस नहीं दिया जबकि आदेश दिनांक 20.12.2006 में स्पष्ट उल्लेख था। इससे स्पष्ट ताइद है कि तहसीलदार, फलसूण्ड ने मृतक खातेदार के सभी प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारियों की कोई जांच नहीं की। केवल मात्र रेस्पोंडेन्ट्स के नाम भूमि दर्ज करने के उद्देश्य से नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है, जोकि काबिले खारिज है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आरआरटी 2009 पार्ट-2 पेज 1225 में स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि दोनों पक्षों की ओर से उसी सम्पत्ति के संबंध में वाद कार्यवाही विचाराधीन हो पक्षकारों के मध्य चल रही हो तो तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिए। साथ ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर फौतेदगी का म्युटेशन उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान के नाम भरा जाना चाहिए। इस प्रकार स्व. मुरीद खॉ का देहान्त होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान यानि अपीलान्त के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है। राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर आरबीजे 2015 पेज 599 में प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार म्युटेशन संख्या 217 खारिज किये जाने योग्य है।

8. अपीलान्तस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राज0 लेण्ड रिकोर्ड रूल्स 119 के तहत हल्का पटवारी को जांच कर वारिसान के नाम नामान्तरकरण में दर्ज करना चाहिए तथा लेण्ड रिकोर्ड रूल्स 121 (2) के तहत भू निरीक्षक को भी जांच करके म्युटेशन में टिप्पणी का इन्द्राज करना चाहिए तथा लेण्ड रिकोर्ड रूल्स 121 (3) के तहत सरपंच को उत्तराधिकारियों की जांच करनी चाहिए तथा उसके संबंध में साक्ष्य भी लेनी चाहिए। जांच व साक्ष्य लेने के बाद ही लेण्ड रिकोर्ड रूल्स 121(4) के तहत म्युटेशन स्वीकृत करना चाहिए। विवादग्रस्त म्युटेशन अपीलान्त को अपने हक हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से वंचित करने के लिए निर्णय दिनांक 28.07.2008 की पालना में दिनांक 22.07.2024 को कार्यालय तहसीलदार द्वारा हल्का पटवारी को पत्र प्रेषित किया गया जो कि इतने समय बाद भारी विलम्ब से तथा बिना किसी उचित जांच तथा राजस्व मण्डल अजमेर में उक्त खसरान की भूमि के संबंध में अपील विचाराधीन होते हुए भी दिनांक 28.7.2008 की पालना में मौका रिपोर्ट, मौका निरीक्षण किये बिना तथा विधिक बारिसों को नोटिस दिये बिना अपीलान्त के पीठ पीछे बाले-बाले करीब 16 वर्ष बाद बिना किसी आधार के निर्णय की पालना में अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत कर दिया गया। विवादग्रस्त म्युटेशन स्वीकृत करने से पूर्व पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक एवं स्वीकृतकर्ता अधिकारी ने लेण्ड रिकोर्ड रूल्स 119 से 148, की भी पालना नहीं की है तथा यदि कोई निर्णय होता है तो उक्त निर्णय की पालना में




समभागीय आधुनिक
जोधपुर

अर्थात् उच्चतर न्यायालय में अपील की मियाद तक न्यायालय को निर्णय के आदेश की पालना में किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। बिना किसी अपील की अवधि का इन्तजार किये बिना ही जल्दबाजी में आदेश पारित किया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

9. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि दिनांक 19.7.2024 को रेस्पोंडेंट अल्लाबचाया पुत्र श्री करीम खॉ ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को विद्धो किये जाने का निवेदन किया तथा शपथ पत्र में उल्लेख किया कि मैं अल्लाबचाया पुत्र करीम खॉ बहैसियत मुख्त्यार आम श्रीमती सायरा, श्रीमती केसर, श्रीमती राजी एवं श्रीमती अन्नों पुत्रीयां करीम खॉ निवासी-पाटोदी खारडी, तहसील पचपदरा जिला बाडमेर जबकि न तो कोई आम मुख्त्यार की प्रति रिकोर्ड पर उपलब्ध है न ही किसी प्रार्थनापत्र पर अन्य करीम खॉ की पुत्रीयां के हस्ताक्षर है बेईमानीपूर्वक अकेले अलाबचाया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि अकेला अलाबचाया प्रार्थना पत्र बाबत अपील विद्धो विधि अनुसार सक्षम नही होने के बावजूद बाले बाले प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील पर रेस्पोंडेंटगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अपली विद्धो करवा ली। इस कारण भी बिना सुनवाई का अवसर दिये एक मात्र पक्षकार के द्वारा अपील विद्धो नहीं की जा सकती थी, इस कारण से भी अपीलाधीन आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

10. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि गफूर खॉ की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 2005/361 बअनवान गफूर खॉ बनाम कासम खॉ वगैरा जो कि खसरा संख्या 115 के विरुद्ध लम्बित है। उक्त अपील के लम्बित होते हुए खसरा सं0 115 का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। आर0आर0टी0 2009(2) पेज 1225 में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अधिकारों की घोषणा हेतु अपील विचाराधीन है तो तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिए। राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 8131/2008 अनवान कादर खॉ के कायम मुकाम बनाम हनीफा के कायम मुकाम वगैरा में अधिकारों का अधिनिर्णय होना शेष है।


11. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि तहसीलदार फलसूण्ड के समक्ष दिनांक 22.7.2024 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर प्रथम अपील में पारित आदेश दिनांक 28.7.2008 की पालना के लिए निवेदन किया जाता है। जब उक्त प्रार्थना पत्र में ही अपीलान्ट बनाम रेस्पोंडेंट के नाम से उल्लेख हो गया तब अपने आप में ही विवादित म्युटेशन आदेश पारित होना


सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

प्रकट है। दिनांक 22.7.2024 को तहसीलदार, फलसूण्ड के पत्र क्रमांक राजस्व/2024/854-55 के द्वारा हल्का पटवारी फलसूण्ड को एक पत्र प्रेषित किया गया। हल्का पटवारी के द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार के द्वारा दिनांक 23.07.2024 को यानि अगले दिन ही नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित कर दिया जबकि उक्त आदेश पारित करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की। इतने वर्षों बाद यानि 16 वर्ष बाद सिर्फ दो दिन में राजस्व मण्डल के निर्णय की बिना सत्यापित प्रति पेश हुए ही नामान्तरकरण को स्वीकृत करने संबंधी आदेश पारित कर दिया गया। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है।

12. अपीलान्टस् के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि राजस्व वाद संख्या 20/1995 न्यायालय सहायक कलेक्टर पोकरण के निर्णय दिनांक 5-3-2002 में स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि गफूर स्वयं ने कहा कि हम पांच भाई हैं, मुराद खॉ पुत्र मुरीद खॉ लिख दिये जाना बताया है जिसका मैंने दावा किया है तथा मोहबत खॉ व भीमे खॉ व मुरीद खॉ भी सगा भाई हैं तथा पाकिस्तान चले जाने का उल्लेख किया गया है तथा मैं अकेला ही यहां रह रहा हूँ तथा मेरे पिताजी भी पाकिस्तान रहते हैं। भाईयों का इस जमीन में बंट होना बताया, फिर पेन से बंट के उपर नहीं होना हाथ से लिखा गया तथा उक्त आदेश के पेज सं0 4 में उल्लेख किया कि मेरा नाम गफूर पुत्र मुरीद खॉ उसका नाम मुरीद खॉ नहीं होना बताया। मैंने दावा वर्ष 1985 में पेश किया था जिसका फैसला 20.11.90 को हुआ मुराद खॉ पुत्र श्री मुरीद खॉ के नाम का कोई आदमी नहीं है। मेरे चारों भाईयों के नाम बादे खॉ, कादर खॉ, करीम खॉ तथा इसे खॉ है तथा इस खेत में बादे खॉ व कादरखॉ व करीम खॉ की ढाणी बनी हुई है इस प्रकार अपीलान्ट के पिता कादर खॉ का शुरुआत से ही उक्त भूमि पर कब्जा व काशत चला आ रहा है। गफूर खॉ अलग-अलग प्रकार से दावे करके उक्त जमीन को हडप करना चाहता है। इस कारण उक्त खातेदारी अधिकारों के विरुद्ध अपील विचाराधीन होते हुए रेस्पों संख्या 3 गफूर खॉ ने प्रश्नगत भूमि ख0सं0 115 में से भूमि दान करते हुए नामान्तरकरण सं0 217 दिनांक 3.8.2024 को स्वीकृत करवा लिया। इस कारण भी अपने हक हिस्से से अधिक किये गये अन्तरण भी आरम्भ से ही शून्य है। इस कारण भी अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। माननीय राजस्व मण्डल की निर्णय नजीर आरआरडी 1993 पेज 28 में यह स्पष्ट सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 135 राज0 भू-राजस्व अधि0 के तहत तहसीलदार के द्वारा स्वीकृत किये गये विवादित नामान्तरकरण के विरुद्ध अपील संभागीय आयुक्त न्यायालय को होगी। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अपीलान्ट की इस अपील को स्वीकार फरमाया जावे तथा अपीलाधीन




संभागीय आयुक्त
जोधपुर

नामान्तरकरण संख्या 217 अपास्त व निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट के हक हिस्से से अधिक किये गये बेचान को अपास्त व निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

13. प्रत्युतर में रेस्पों संख्या 1/2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा ग्राम चानणी मेघासर तहसील फलसूण्ड जिला जैसलमेर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 को स्वीकृत करने बाबत दिनांक 03.08.2024 को आदेश पारित किया गया है, वो पूर्ण रूप से उचित है क्योंकि उक्त नामान्तरकरण रेस्पों संख्या 3 गफूर खॉ पुत्र मुरीदखा के द्वारा ख०सं० 115 की प्रश्नगत भूमि का हस्तान्तरण/अन्तरण जरिये पंजीकृत दान लेख के अन्य रेस्पोंडेन्ट्स को कर दिये जाने पर स्वीकृत किया गया है, ऐसे में जब तक पंजीकृत दान लेख को सक्षम सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जाता है तब तक राजस्व न्यायालय को अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 को निरस्त करने का विधिक अधिकार नहीं बनता है। अतः अपीलान्ट्स की अपील खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज की जावे एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 को यथावत रखा जावे।

14. प्रत्युतर में रेस्पों संख्या 3 से 10 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा दिनांक 03.08.2024 को उपरोक्त अपील अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 217 पर दिनांक 03.08.2024 को पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत उपरोक्त अपील मियाद की समावधि में प्रस्तुत नहीं की गई है जो अत्यधिक देरीना प्रस्तुत की गई है और म्यूटेशन की जानकारी उन्हें दिनांक 21.10.2024 को प्रथम बार होने के कथन किये है जबकि जानकारी अपीलार्थीगण को किसके माध्यम से व कैसे हुई, का अपीलार्थीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकन नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण को जैर अपील म्यूटेशन की जानकारी दिनांक 21.10.2024 को होने के कथन माने जाने योग्य नहीं है। अपीलार्थीगण स्वयं के कथनानुसार नामान्तरकरण आदेश से भली भांति वाकिफ रहे है और उन्हे उक्त म्यूटेशन स्वीकृत होने की पूर्ण जानकारी रही है ऐसी स्थिति में अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को किसी भी रूप में माफ नहीं किया जा सकता है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मियाद के बाबत देरी के कारण एक-एक दिन को स्पष्ट करना पड़ता है कि देरी का क्या कारण रहा, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा मात्र यह अंकित किया गया है कि उनको अपीलाधीन आदेश की दिनांक 21.10.2024 को जानकारी हुई जो सरासर गलत व झूठ है अतः अपीलार्थीगण की अपील मियाद बाहर होने से काबिले खारिज है जिसे खारिज माना जावे।


सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

15. रेस्पोंड संख्या 3 से 10 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय से तथ्य छुपाते हुए उक्त अपील झूठे कथनों के आधार पर और दस्तावेजी साक्ष्य के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है यानि अपीलार्थीगण साफ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश नहीं हुए हैं इसलिये माननीय न्यायालय से किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं हैं यहां तक की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भिन्न भिन्न न्यायिक दृष्टान्त पारित किये हैं कि साफ हाथों से माननीय न्यायालय के समक्ष कोई वाद या अपील प्रस्तुत नहीं करने पर उक्त प्रकरण में किसी प्रकार का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता।

16. रेस्पोंड संख्या 3 से 10 के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी कथन किया गया कि अपीलान्त ने उक्त अपील म्यूटेशन संख्या 217 दिनांक 03.08.2024 तहसीलदार फलसूण्ड जिला जैसलमेर के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है और उक्त म्यूटेशन मात्र खसरा संख्या 115 के बाबत ही पारित किया गया है जबकि अपीलार्थी के द्वारा उक्त अपील में खसरा संख्या 115 व खसरा संख्या 141 दोनों का वर्णन करते हुए माननीय न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की गई है जबकि खसरा संख्या 141 के बाबत माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में ही तहसीलदार के द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया गया है जो कि म्यूटेशन संख्या 44 दिनांक 24.07.2024 पारित किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक कोई चाराजोई नहीं की गई है। उक्त म्यूटेशन संख्या 44 की प्रति फॉर्म नं. 3 के साथ पेश कि गई है।

17. रेस्पोंड संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि यह अपील म्यूटेशन संख्या 217 जो कि एक पंजीबद्ध दानपत्र के आधार पर (पालना में) पारित किया गया है जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा पंजीबद्ध दस्तावेज (दान) को किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध दस्तावेज के अस्तित्व में रहते हुए उक्त म्यूटेशन को किसी भी रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है। उक्त म्यूटेशन संख्या 217 पंजीबद्ध दस्तावेज की पालना में तहसीलदार फलसूण्ड जिला जैसलमेर के द्वारा पारित किया गया है ऐसी स्थिति में उपरोक्त म्यूटेशन के विरुद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को नहीं होकर सक्षम न्यायालय श्रीमान जिला कलेक्टर जैसलमेर को प्राप्त होने से अपील काबिले खारिज है।

18. रेस्पोंड संख्या 3 से 10 की ओर से दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा सम्पूर्ण अपील में जानबूझकर झूठ तथ्य अंकित किये हैं कि पूर्व ग्राम फलसूण्ड वर्तमान ग्राम चांदणी मेगासर में खेत खसरा नं. 115 रकबा 228. 13 बीघा व पीरासर में खसरा नं. 141 रकबा 14.12 बीघा आया हुआ है उक्त भूमि पीढ़ियों से व वक्त सेटलमेंट मुरीद के नाम दर्ज हो रखी है। मुरीद खाँ की मृत्यु के बाद गफूर खाँ द्वारा बड़े पुत्र होने से हल्का पटवारी से मिलकर सम्पूर्ण भूमि अपने अकेले के नाम दर्ज करवाई गई और विवादित भूमि स्व. मुरीद खाँ की खातेदारी भूमि थी जो कि उसकी मृत्यु के पश्चात गलत रूप से अकेले गफूर खाँ के नाम दर्ज हो गई। मुरीद खाँ का देहान्त होने के बाद तथा राजस्व वाद/अपील विचाराधीन होते हुए वादग्रस्त म्यूटेशन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा स्वीकृत नहीं करना चाहिए था जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि किसी भी खातेदार की मृत्यु हो जाने पर फौतदेगी का म्यूटेशन उसके प्रथम श्रेणी के

वारिसान के नाम भरा जाना चाहिए। ऐसे में मुरीद खॉ का देहान्त होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्त के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिए था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रावधानों के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत किया है जबकि अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त अपील मुरीद खॉ के फौत होने पर फौतेदगी म्यूटेशन के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं कर एक पंजीबद्ध हुए दस्तावेज के अनुसार दर्ज होकर स्वीकृत किये म्यूटेशन के विरुद्ध प्रस्तुत की है। अपील में वर्णित दोनों खसरान् की भूमि मुरीद खॉ के नाम कभी नहीं रही और न ही मुरीद खॉ के फौत होने पर किसी प्रकार का फौतेदगी म्यूटेशन पारित किया गया है। अपीलार्थीगण के द्वारा वक्त सेटलमेंट दोनो खसरान् की भूमि मुरीद खॉ के नाम दर्ज होना, झूठे कथन किये है जो कि फॉर्म नं. 3 के साथ पेश दस्तावेज खतौनी बन्दोबस्त है जो संवत् 2014 से 2031, संवत् 2022 से 2025, संवत् 2026 से 2029, संवत् 2030 से 2033, संवत् 2033 से 2036 की जमाबन्दी है, संवत् 2072 से 2075 की जमाबन्दी है जो गफूर खॉ वल्द मुरीद खॉ के नाम की है। इसी तरह खसरा संख्या 115 का वक्त सेटलमेंट का पर्चा लगान गफूर खॉ पिता मुरीद खॉ का 1/2 हिस्सा अंकित है व मोहब्बत खॉ, भीया पिता अजीत का 1/2 हिस्सा है, जमाबन्दी संवत् 2014 से 2031 संवत् 2050 से 2053, संवत् 2074 से 2077 जमाबन्दी है जो गफूर खॉ पुत्र मुरीद खॉ के नाम की है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा अपील में झूठे कथन किये गये है कि वक्त सेटलमेंट दोनो खसरान् की भूमि मुरीद खॉ के नाम थी और उसके फौत होने के पश्चात गफूर खॉ अकेले से अपना फौतेदगी म्यूटेशन पारित करवाते हुए अकेले का नाम दर्ज करवा दिया कतई मानने योग्य नहीं है और ऐसे झूठे कथनों के आधार पर प्रस्तुत अपील भारी हर्जे खर्चे के साथ काबिले खारिज है।

19. रेस्पॉ0 संख्या 3 से 10 की ओर से दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह कथन किया गया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 हनीफा व प्रत्यर्थी संख्या 2 अल्लाबचाय के द्वारा उक्त दोनो खसरान् की भूमि को लेकर माननीय उपखण्ड अधिकारी पोकरण के समक्ष झूठे तथ्यों के आधार पर खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हुआ बताया है और दोनो खसरान् की भूमि वक्त सेटलमेंट मुरीद खॉ के नाम थी जो मुरीद खॉ के फौत होने पर उनके सभी वारिसो के नाम फौतेदगी म्यूटेशन पारित नहीं कर मात्र गफूर खॉ के नाम दर्ज कर दिया। उक्त वाद के सम्मन प्रतिवादी गफूर खॉ को कभी प्राप्त नहीं हुआ फिर भी उपखण्ड अधिकारी के द्वारा गफूर खॉ के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए बिना तनकी कायम किये और बिना कोई दस्तावेज देखे वाद डिकी कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर गफूर खॉ के द्वारा माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो उक्त न्यायालय के द्वारा दिनांक 28.07.2008 को उपखण्ड अधिकारी के द्वारा पारित निर्णय व डिकी को अपास्त कर दिया। उक्त दोनो निर्णयों के विरुद्ध रेस्पॉ0 संख्या 1 स्व. हनीफा व 2 अल्लाबचाया के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई जो कि दिनांक 19.07.2024 को विद्धो कर ली गई जिस पर राजस्व अपील प्राधिकारी के द्वारा दिनांक 28.07.2008 को पारित किया गया निर्णय अंतिम हो गया है और उक्त निर्णय की पालना में खसरा संख्या 141 के बाबत् तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार म्यूटेशन संख्या 44 दिनांक 24.07.2024 स्वीकृत किया गया है और उक्त म्यूटेशन व आदेश को अपीलार्थीगण के द्वारा आज दिनांक तक कोई चुनौती नहीं दी गई है तथा खसरा संख्या 115 के बाबत् तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार म्यूटेशन संख्या 216 दिनांक 23.07.2024 पारित किया गया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थीगण द्वारा मौजूदा अपील प्रस्तुत की गई और पंजीबद्ध दस्तावेज

की पालना में पारित म्यूटेशन के विरुद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष एक अपील संख्या 105/2024 बअनवान कादर खाँ के कायम मुकाम बनाम हनीफा के कायम मुकाम लम्बित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण लम्बित होते हुए अपीलाधीन म्यूटेशन पारित करने के कथन बिल्कुल सफेद झूठ किये गये हैं।

20. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित द्वितीय अपील को अल्लाबचाय वगैरा के द्वारा विद्धो करने पर उक्त विद्धो आदेश के विरुद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन पेश की गई, जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा प्रस्तुत रिट संख्या 13409/2024 दिनांक 20.08.2024 को अस्वीकार कर खारिज करते हुए अपीलार्थीगण को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के समक्ष विद्धो की गई द्वितीय अपील को, अपीलार्थीगण जो कि रेस्पोडेंट थे, को अपीलार्थी के रूप में पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व मण्डल को 4 सप्ताह के अन्दर विधि के अनुसार अपील का निस्तारण करने का आदेश दिया गया। जिस पर राजस्व मण्डल के द्वारा अपीलार्थीगण को रेस्पोडेंट के स्थान पर अपीलान्त पक्षकार संयोजित किया जा चुका है और उक्त द्वितीय अपील आज भी माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष लम्बित है ऐसी स्थिति में मैरिट पर जो भी निर्णय होगा वो राजस्व मण्डल के द्वारा पारित किया जायेगा क्योंकि राजस्व मण्डल के समक्ष खातेदारी घोषणा के बाबत द्वितीय अपील विचाराधीन है जिसमें खातेदारी अधिकारो की घोषणा का प्रश्न विद्यमान है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण के द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर पंजीबद्ध दस्तावेज की पालना में पारित अपीलाधीन म्यूटेशन के विरुद्ध प्रस्तुत यह अपील किसी भी रूप से पोषणीय नहीं हो सकती है जिसे खारिज किया जावे।

21. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीगण की यह स्वीकारोक्ति है कि जैर अपील म्यूटेशन संख्या 217 पंजीबद्ध दस्तावेज के अधिकार पर पारित किया गया है परंतु उक्त पंजीबद्ध दस्तावेजात (दान विलेखों) को किसी भी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है और न ही किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उक्त पंजीबद्ध दस्तावेज आज दिनांक तक निरस्त/रिवोक/निष्प्रभावी घोषित नहीं किया गया है और यह भी उचित रहेगा कि पंजीबद्ध दस्तावेज को निरस्त करने के बाबत प्रकरण सुनने का अधिकार मात्र सिविल न्यायालयों के पास है, न कि राजस्व न्यायालय के पास। ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील विधि के द्वारा बाधित होने से खारिज फरमाई जावें।

22. रेस्पो0 संख्या 3 से 10 की ओर से विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी कथन किया गया कि अपीलार्थीगण के द्वारा उक्त निष्पादित पंजीबद्ध दस्तावेज को आज दिन तक सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध दस्तावेजात के अस्तित्व में होते हुए अपीलाधीन म्यूटेशन को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। म्यूटेशन के विरुद्ध प्रस्तुत अपील एक फिस्कल प्रोसिडिंग होने से किसी पक्षकारान् के अधिकार तय नहीं किये जा सकते हैं और अपीलार्थीगण के कथनानुसार अधिकारो की घोषणा बाबत माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष द्वितीय अपील लम्बित है ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील काबिले खारिज है, जिसे खारिज फरमाई जावे।

23. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर गहनता से चिन्तन एवं मनन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजों/अपील, अपीलाधीन आदेशों, निर्णय नजीरों इत्यादि का बगौर अवलोकन किया जिससे यह पाया जाता है कि अपीलान्टस् के द्वारा यह अपील नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 03.08.2024 ग्राम चानणी मेघासर तहसील-फलसूण्ड के विरुद्ध पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 जो कि रेस्पो0 संख्या 3 गफूर खॉ पुत्र मुरीद खॉ ने एक पंजीकृत दान पत्र (बख्सीसनामा) दिनांक 29.7.2024 को निष्पादित करते हुए ग्राम चानणी मेघासर के ख0सं0 115 रकबा 37.0125 हैक्टर किस्म बारानी-4 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि को श्री लतिब खॉ पुत्र गफूरखॉ (रेस्पो0 संख्या 4), श्री इलियास खॉ पुत्र गफूरखा (रेस्पो0 संख्या 5), अयूब पुत्र गफूरखॉ (रेस्पो0 संख्या 6), नुरे खॉ पुत्र गफूरखॉ (रेस्पो0 संख्या 7) दान (बख्सीस) किये जाने तथा अन्य दूसरे पंजीकृत दान पत्र (बख्सीसनामा) दिनांक 29.7.2024 के द्वारा श्रीमती सेयती पत्नी इलियास खॉ (रेस्पो0 संख्या 8), श्रीमती हुरमी पत्नी लतिब खॉ (रेस्पो0 संख्या 9), श्रीमती रामत पत्नी आईब (रेस्पो0 संख्या 10) एवं श्रीमती अभिनत पत्नी नुरे खॉ के पक्ष में उक्त खसरा भूमि के 1/2 हिस्सा का दान (बख्सीस) किये जाने के दस्तावेजात् तहसीलदार, फलसूण्ड को पेश किये जाने पर तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा उक्त दोनों पंजीकृत दानपत्र (बख्सीसनामा) के अनुसार इन व्यक्तियों के पक्ष में दिनांक 03.08.2024 को नामान्तरकरण संख्या 217 स्वीकृत किया गया है, के विरुद्ध पेश की गई है।

24. अपीलान्टस् की ओर से उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 217 के विरुद्ध मुख्य आपत्ति यह की गई है कि श्री गफूरखॉ के पक्ष में अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने से पूर्व प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और न ही विधिक वारिसों को नोटिस दिये गये और न ही वादग्रस्त भूमि का मौका निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त किसी पारित निर्णय के विरुद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील पेश करने की मियाद तक पारित निर्णय की पालना में किसी प्रकार का निर्णय नहीं लिया जाना चाहिये। वादग्रस्त भूमि के खातेदार मुरीदखॉ के होने तथा उनका देहान्त होने पर उसके प्रथम श्रेणी के वारिसान यानि अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिये था क्योंकि गफूरखॉ के द्वारा नाजायज तरीके से अपना नाम वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में दर्ज करवा लिया गया था जिसके सम्बन्ध में हनीफो वगैराह के द्वारा सहायक कलेक्टर न्यायालय पोकरण के समक्ष राजस्व वाद संख्या 118/2006 पेश होने पर दावा दिनांक 29.12.2006 को स्वीकार हुआ तत्पश्चात उसके विरुद्ध गफूरखॉ पुत्र मुरीद खॉ के द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी न्यायालय के अपील संख्या 26/2007 पेश होने उक्त अपील दिनांक 28.7.2008 को स्वीकार की गई तथा सहायक कलेक्टर न्यायालय पोकरण के द्वारा राजस्व वाद में पारित आदेश दिनांक 29.12.2006 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध हनीफा वगैराह के द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष अपील संख्या 8131/2008 पेश की गई जो कि हनीफा के पुत्र अल्ला बचाया के द्वारा दिनांक 19.7.2024 को विद्धो कर ली गई। गफूरखॉ के द्वारा नाजायज तरीके से अपना नाम वादग्रस्त भूमि के रिकार्ड में दर्ज करवा लिया गया था। श्री गफूर खॉ के द्वारा अपने हिस्से से अधिक हिस्से की भूमि का दान कर दिया जबकि उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, इस आधार पर दान की गई भूमि के सम्बन्ध में स्वीकृत किये गये नामान्तरकरण संख्या 217 निरस्त करने योग्य है।

25. अपीलाधीन नामान्तरकरण के सम्बन्ध में तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा न्यायालय हाजा को भिजवाई गई पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया जिसमें रेस्पो0 संख्या 3 गफूर खॉ पुत्र मुरीद खॉ ने पंजीकृत दान पत्र (बख्सीसनामा) दिनांक 29.07.2024 के द्वारा ग्राम चानणी मेघासर के ख0सं0 115 रकबा 37.0125 हैक्टर किस्म बारानी-4 भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि को श्री लतिब खॉ पुत्र गफूरखॉ (रेस्पो0 संख्या 4), श्री इलियास खॉ पुत्र गफूरखा (रेस्पो0 संख्या 5), अयूब पुत्र गफूरखॉ (रेस्पो0 संख्या 6), नुरे खॉ पुत्र गफूरखॉ (रेस्पो0 संख्या 7) दान (बख्सीस) किये जाने तथा अन्य दूसरे पंजीकृत दान पत्र (बख्सीसनामा) दिनांक 29.7.2024 के द्वारा श्रीमती सेयती पत्नी इलियास खॉ (रेस्पो0 संख्या 8), श्रीमती हुरमी पत्नी लतिब खॉ (रेस्पो0 संख्या 9), श्रीमती रामत पत्नी आईब (रेस्पो0 संख्या 10) एवं श्रीमती अभिनत पत्नी नूरे खॉ के पक्ष में उक्त खसरा भूमि के 1/2 हिस्सा का दान (बख्सीस) किये जाने निष्पादित के लिये जाने के दस्तावेज तहसीलदार, फलसूण्ड को पेश किये जाने पर तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा उक्त पंजीकृत दानपत्र (बख्सीसनामा) के अनुसार इनके पक्ष में दिनांक 3.8.2024 को नामान्तरकरण किया जाना प्रतीता होता है।

26. रेस्पो0 संख्या 3 के द्वारा उक्त निष्पादित दानपत्रों (बख्सीनामा) जो कि एक पंजीबद्ध दस्तावेज है, को निरस्त करवाये जाने हेतु सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में पंजीबद्ध दस्तावेजात के अस्तित्व में होते हुए न्यायालय को म्युटेशन निरस्त करने का अधिकार नहीं है। नामान्तरकरण प्रक्रिया एक फिसकल प्रोसिडिंग्स है जिससे किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों को निर्धारण नहीं किया जा सकता है। तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत किये जाने के समय उनके समक्ष किसी प्रकार उच्चतर न्यायालय का स्थगन अथवा अपील पेश होने/विचाराधीन होने का कोई दस्तावेज रेकर्ड पर नहीं होने से तहसीलदार फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण को स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण जो कि दो अलग-अलग निष्पादित किये गये पंजीकृत दान पत्रों (बख्सीसनामा) के अनुसार दायर किये जा कर स्वीकृत किये गये हैं, जिसमें उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है और न ही इसे विवादित नामान्तरकरण की कार्यवाही करार दिया जा सकता है। अपीलान्त को उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण के विरुद्ध जिला कलेक्टर न्यायालय के समक्ष राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रथम अपील पेश करनी चाहिये थी, न कि सीधे ही इस न्यायालय के समक्ष।

27. इसके अतिरिक्त वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के द्वारा अपील संख्या 8131/2008 जो कि जरिये विज्ञो निर्णित की जा चुकी है, को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के द्वारा दिनांक 17.10.2024 को पुनः नम्बर पर लिया जाना दस्तावेजों से प्रकट होता है जिसमें निर्णय होना शेष है। अब चूंकि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालय में अपील विचाराधीन चल रही है तो न्यायालय हाजा के द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय दिया जाना उच्चतर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया जाना तथा अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कार्यवाही किया जाना दर्शित हो जायेगा। अतः इस स्तर पर अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाई जाती है।

28. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्टस् की सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार, फलसूण्ड के द्वारा ग्राम चानणी मेघासर के नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 03.08.2024 को यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 21 जनवरी, 2026 को सरे इजलास सुनाया गया।




(डॉ० प्रतिभा सिंह)
समभागीय आयुक्त
जोधपुर